13

COURT FEE
भारत INDIA
दस रुपये TEN RUPEES

माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्र. क्र. /12 निगरानी – 1582-I/12

1 रामनिवास आयु 26 वर्ष
2 पतीराम आयु 48 वर्ष
3 सोनेराम आयु 33 वर्ष
4 फूलसिंह आयु 26 वर्ष
पुत्रगण रघुपति जाति धाकड़
निवासी सागोरिया तहसील कैलारस
जिला मुरैना ...... **आवेदकगण**

विरुद्ध

नवलसिंह दत्तक पुत्र रतन लाल
निवासी सागोरिया तहसील कैलारस
जिला मुरैना ...... **अनावेदक**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांकी 16/04/12 प्र. क्र. 01/अ–06/11–12 न्यायालय नायब तहसीलदार कैलारस जिला मुरैना

श्रीमान महोदय

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्यः–

1 यहकि आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवेदकगण द्वारा सर्वे क्र. 982 रकवा 0.48 हैक्टेयर भूमि में से 0.16 भूमि स्थित ग्राम सागोरिया तहसील कैलारस जिला मुरैना की भूमि जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकी 09/02/11 को पातीराम, लाला पुत्रगण भैरों, कला पुत्री जादौ, कटोई बेबा रामहेत मातादीन पुत्र रामहेत निवासीगण सागोरिया तहसील कैलारस जिला मुरैना से उनके स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि क्रय की है उपरोक्त क्रय शुदा भूमि पर आवेदकगण का नाम विक्रेतागण के स्थान पर राजस्व अभिलेख में नामांत्रण कर नाम अंकित किया जावे।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1582–एक / 12 जिला –मुरैना

	कार्यवाही तथा आदेश
5.9.16	आवेदक अधिवक्ता श्री राजेन्द्र जैन उपस्थित होकर निवेदन किया गया है कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं । अतः प्रकरण नोट प्रेस में समाप्त किया जावे। 2– आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण आगे न चलाने के कारण "नोट प्रेस" में समाप्त किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। सदस्य